न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 70/2024 — अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मोडाराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. पूराराम पुत्र मूलाराम 2. चीमाराम पुत्र गुणेशाराम 3. मिरगोदेवी पत्नी करनाराम जाति कुम्हार, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री देवीलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 – श्री जेठाराम कुमावत।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 05.08.2024

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 92/2 रकबा 12.9823 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मूलाराम द्वारा अपनी जाईन्दा संतान को लाभ कि लिए सयुंक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय कर अपने बड़े पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाई गई। उक्त विवादित आराजी वक्त खरीद प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र मात्र 04 वर्ष थी। उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद होने से वर्तमान में विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। वादी का जन्म उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से अर्जित सम्पति अर्थात भूमि खरीद के 40 दिन पश्चात् हुआ है। चूंकि उक्त विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित की हुई होने से वादी का उक्त आराजी में जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो गया था तथा उनके पिता द्वारा उनके बालिग पर विवादित आराजी दोनों भाईयों को बराबर हिस्सा अनुसार दे दी गई एवं उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से में काश्त करते आ रहे है। पक्षकारान् का इसी अनुसार मौखिक बंटवारा भी किया हुआ है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने तथा वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में खोट आने से वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। साथ ही उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित भूमि का बैचान करने पर आमादा है, जबकि वादी का भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हक हिस्सा निहित होने से वादी द्वारा स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाये जाने बाबत् वाद खातेदारी घोषणा का पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश कर विवादित आराजी में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/4 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। साथ ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान करते हुए राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार शिव द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उक्त वाद को स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं के साथ वादी को सहखातेदार घोषित किये जाने हेतु साक्ष्य स्वरूप स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा संयुक्त परिवार की आय से अर्जित की होने से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार निर्णय पारित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। चूंकि वादी द्वारा उक्त वाद स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् पेश किया गया है। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता मूलाराम द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीद की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई है। उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी भी मूलाराम की जाईदा संतान होने से संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से अर्जित संपति में हकदार है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश कर वाद स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार शिव द्वारा भी जवाब पेश कर उक्त वाद डिक्री किये जाने बाबत् राज्य पक्ष की ओर से सहमति प्रदान की गई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर आपसी सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 92/2 रकबा 12.9823 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को बहिस्सा बराबर सहखातेदार होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner